प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 431 सन 2020

अनवान :–

1. निहालसिह पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति सुथार निवासी खेरा खुर्द तहसील सरदुलगढ जिला मानसा पंजाब ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 12.12.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 81/ 84 के खसरा न0. 194/1 की 11.4480हैक में से 6367/114480 हिस्सा भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम महावीर प्रसाद पुत्र राजेन्द्र कुमार दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम निहाल सिह पुत्र राजेन्द्र कुमार है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम निहाल सिह पुत्र राजेन्द्र कुमार है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम निहाल सिह पुत्र राजेन्द्र कुमार दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम महावीर पुत्र राजेन्द्र कुमार दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केरीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर महावीर पुत्र राजेन्द्र कुमार के स्थान पर निहाल सिह पुत्र राजेन्द्र कुमार संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प कोर्ट में पेश होने पर वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 81/ 84 के खसरा न0. 194/1 की 11.4480हैक में से 6367/114480 हिस्सा भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम महावीर प्रसाद पुत्र राजेन्द्र कुमार दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम निहाल सिह पुत्र राजेन्द्र कुमार है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम निहाल सिह पुत्र राजेन्द्र कुमार है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम निहाल सिह पुत्र राजेन्द्र कुमार दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम महावीर पुत्र राजेन्द्र कुमार दर्ज किया गया है जो गलत है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 81 / 84 के खसरा न0. 194 / 1 की 11.4480हैक में से 6367 / 114480 हिस्सा भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हैजिसमें वादी का नाम महावीर पुत्र राजेन्द्र कुमार दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय निहालसिह पुत्र राजेन्द्र कुमार के स्थान पर महावीर प्रसाद पुत्र राजेन्द्र कुमार दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम निहालसिह पुत्र राजेन्द्र कुमार दर्ज है।एव अन्य जमाबन्दी में भी वादी का नाम निहालसिह दर्ज एवं सरपच ग्राम पंचायत के द्वारा भी वादी के नाम की तस्दीक की गई है वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम निहाल सिह होना प्रतित होता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र / सरपंच की तस्दीक पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्रम पंचायत की तस्दीक तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 81 / 84 के खसरा न0. 194 / 1 की 11.4480हैक में से 6367 / 114480 हिस्सा में वादी का महावीर प्रसाद पुत्र राजेन्द्र कुमार अंकित है के स्थान पर महावीर प्रसाद उर्फ निहालसिह पुत्र राजेन्द्र कुमार संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
केम्प कोर्ट...अरडकी

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. निहालसिह पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति सुथार निवासी खेरा खुर्द तहसील सरदुलगढ जिला मानसा ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 367 सन 2021 निर्णय दिनांक–12.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष उभयपक्षो की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 81/ 84 के खसरा न0. 194/1 की 11.4480हैक्टे में से 6367/114480 हिस्सा में वादी का महावीर प्रसाद पुत्र राजेन्द्र कुमार अंकित है के स्थान पर महावीर प्रसाद उर्फ निहालसिह पुत्र राजेन्द्र कुमार संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
केम्प कोर्ट..अरडकी

Scanned with CamScanner